HUMAN RIGHTS WATCH

मानव मल की सफाई करना

भारत में “हाथ से मैला उठाना”, जाति, और भेदभाव

HUMAN RIGHTS WATCH

मानव मल की सफाई करना

भारत में “हाथ से मैला उठाना”, जाति, और भेदभाव

Copyright © 2014 Human Rights Watch
All rights reserved.
Printed in the United States of America
Cover design by Rafael Jimenez

Human Rights Watch defends the rights of people worldwide. We scrupulously investigate abuses, expose the facts widely, and pressure those with power to respect rights and secure justice. Human Rights Watch is an independent, international organization that works as part of a vibrant movement to uphold human dignity and advance the cause of human rights for all.

Human Rights Watch is an international organization with staff in more than 40 countries, and offices in Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, and Zurich.

For more information, please visit our website: http://www.hrw.org

HUMAN RIGHTS WATCH

मानव मल की सफाई करना

भारत में “हाथ से मैला उठाना”, जाति, और भेदभाव

सारांश 1

V. आगे का मार्ग **9**

भारत की केंद्र सरकार के लिए 9

भारत की राज्य सरकारों के लिए 12

जिला और ग्रामीण अधिकारियों के लिए 14

दानकर्ताओं, सहायता एजेंसियों, और संबंधित सरकारों के लिए 16

सारांश

> मैं प्रतिदिन 20 घरों के शौचालय साफ़ करती हूँ। मैं शौचालय में एकत्रित मल को निकालने के लिए एक टिन की प्लेट और झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ, मैं मलमूत्र को एक टोकरी में इकट्ठा करती हूँ, और उसके बाद उसे ले जाकर फेंक देती हूँ। यह काम इतना घटिया है कि मुझे कुछ खाने का मन भी नहीं करता है।
> — मनीषा, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश, जनवरी 2014

> [हाथ से मल की सफाई] छुआछूत का सबसे बुरा और जीता-जागता प्रतीक है।
> — राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का प्रस्ताव, 23 अक्टूबर, 2010

दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में आज भी निजी और सार्वजनिक शुष्क शौचालयों और खुली नालियों से हाथ से मैला उठाने की प्रथा मौजूद है। भारत के अधिकांश हिस्सों में, सदियों पुराने सामंती और जाति आधारित रिवाज के अनुरूप, पारंपरिक रूप से "हाथ से मैला उठाने वाले मेहतर" के रूप में काम करने वाले समुदायों की महिलाएं आज भी प्रतिदिन मानव मल इकट्ठा करती हैं, उसे बेंत की टोकरियों या धातु की नांदों में भरती हैं, और उसे बस्ती के बाहरी इलाके में फेंकने के लिए अपने सिर पर ढोकर ले जाती हैं।

1947 में आजादी मिलने के बाद से भारत की केंद्रीय सरकार ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए वैधानिक और नीतिगत प्रयासों को अपनाया है। हाल के वर्षों में इनमें शौचालय व्यवस्था को आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धताओं का समावेश हुआ है ताकि हाथ से मल की सफाई करने और इस काम में किसी को लगाने की जरूरत ही न पड़े। फिर भी, इन नीतियों को ठीक से लागू नहीं किए जाने के कारण लोग इस भूमिका से इनकार करने के अपने अधिकार से अनजान रह जाते हैं, और जो इससे इनकार करते हैं उन्हें अत्यधिक सामाजिक दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसमें हिंसा और गाँव से निकालने की धमकियाँ भी शामिल हैं, जिसमें अक्सर स्थानीय सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत भी रहती है।

हाथ से मैला उठाने वाले लोग आम तौर पर ऐसे जाति समूहों के होते हैं जो प्रथानुसार जाति अनुक्रम के निचले दर्जे के होते हैं और उनके आजीविका कार्य सीमित होते हैं जिन्हें ऊंची जाति समूहों द्वारा निंदनीय या नीच माना जाता है। उनका जाति-आधारित पेशा उनके इस सामाजिक कलंक को बढ़ा देता है कि वे अपवित्र या "अछूत" हैं और उनके विरुद्ध व्यापक भेदभाव की भावना बरक़रार रहती है। महिलाएं आम तौर पर शुष्क शौचालयों को साफ़ करती हैं, पुरुष और महिलाएं खुले मलोत्सर्ग क्षेत्रों, गटर, और नालियों से मल साफ़ करते हैं, और नालियों तथा सेप्टिक टंकियों को साफ़ करने जैसे शारीरिक रूप से अधिक कठिन कार्यों को करने के लिए पुरुषों को बुलाया जाता है।

हाथ से मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ राष्ट्रीय गरिमा अभियान नामक इस जमीनी स्तर के अभियान के संस्थापक और संयोजक आसिफ़ शेख ने इस प्रथा से उत्पन्न होने वाले व्यवस्थागत भेदभाव के बारे में बताया:

मानव मल को हाथ से ढोकर ले जाना या साफ़ करना कोई रोजगार या नौकरी नहीं, बल्कि गुलामी की तरह का एक अन्याय है। यह दलितों के खिलाफ भेदभाव के सबसे प्रमुख रूपों में से एक है, और यह उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन का केंद्र है।

उत्तर प्रदेश राज्य के इटाह जिले के कसेला गाँव में, 12 परिवारों की महिलाएं हाथ से शौचालयों को साफ़ करती हैं जिनकी पूरी जानकारी गाँव के अधिकारियों को है। शौचालयों से हाथ से मल निकालने में अपनी सुबह बिताने के बाद, महिलाएं वापस उनके द्वारा साफ़ किए गए उन्हीं घरों में जाकर वेतन के रूप में बचे-खुचे भोजन को इकट्ठा करती हैं। फसलों की कटाई के समय उन्हें दान के रूप में अनाज और त्यौहारों के अवसर पर पुराने कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नकद मेहनताना नहीं मिलता है। मुन्नीदेवी ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि उसने उन घरों में जाना बंद कर दिया जहाँ उसे कोई भोजन नहीं दिया जाता था, लेकिन वह कहती है कि वह वापस काम पर लौट आई जब उसके मालिकों ने चेतावनी दी कि उसे जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने या अपने मवेशियों को चराने के लिए समुदाय की जमीन में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। "मुझे जाना पड़ता है। यदि मैं एक दिन भी चूक जाती हूँ तो मुझे धमकाया जाता है," उसने कहा।

6 सितम्बर 2013 को, भारतीय संसद ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम) पारित किया। सात महीने बाद, 27 मार्च 2014 को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने और इस काम को करने वाले सभी लोगों के "पुनर्वास" के लिए भारत के संविधान को राज्य के हस्तक्षेप की जरूरत है। इसका मकसद सिर्फ इस प्रथा को समाप्त करना नहीं बल्कि हाथ से मैला उठाने के काम में लगे समुदायों द्वारा झेले जाने वाले दुर्व्यवहारों को भी समाप्त करना था।

हाथ से मैला उठाने के काम में लगे समुदायों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय के खिलाफ 2013 के अधिनियम में सरकार की मान्यता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह इस समस्या को दूर करने के लिए पिछले कानूनों और नीतियों को लागू करने में विफलता की तरफ भी इशारा करती है। गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तरप्रदेश राज्यों में हाथ से मैला उठाने के काम में लगे समुदायों से हाल के उदाहरण हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने और ख़राब रवैयों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने में पिछली सरकार के प्रयासों की विफलताओं पर प्रकाश डालते हैं जो प्रभावित समुदायों के सदस्यों को अभी भी इस अपमानजनक और अनावश्यक पेशे से बांधे रखती हैं।

उदाहरणस्वरुप, हाथ से मैला उठाने का काम छोड़ने की माँग करने वाली कई महिलाओं ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि स्थानीय अधिकारी हस्तक्षेप करने में असफल रहे थे जब उन्हें उन घरों से मिलने वाली धमकियों का सामना करना पड़ा था जहाँ वे ये काम करती थीं। इस काम को छोड़ने पर उनसे बदला लेने के लिए उन्हें समुदाय की जमीन और संसाधनों तक पहुँचने नहीं दिया जाता था या उन्हें गाँव से निकालने की धमकी दी जाती थी, जिसके पीछे अक्सर ग्राम परिषदों और अन्य अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होता था।

यद्यपि केंद्र सरकार कानूनों को लागू करती हैं, लेकिन फिर भी *पंचायतों* में राज्य के प्रतिनिधि, निर्वाचित ग्राम परिषद, और नगर निगम भी अक्सर हाथ से मैला उठाने के काम पर रोक लगाने में सिर्फ विफल ही नहीं रहते हैं, बल्कि वे इस प्रथा को कायम रखने में मदद भी करते हैं। उदाहरण के

तौर पर, महाराष्ट्र राज्य में, *पंचायतों* ने शौचालयों और खुले मलोत्सर्ग क्षेत्रों को हाथ से साफ़ करने के लिए जाति के आधार पर लोगों की भर्ती की है, और यहाँ तक कि उन्हें अन्य नौकरी देने से इनकार भी किया है जिन्हें पाने के लिए वे योग्य हैं। यद्यपि *पंचायतें* शुष्क शौचालयों, नालियों, और खुले मलोत्सर्ग क्षेत्रों को साफ़ करने वाले परिवारों को मुआवजे के तौर पर आवास और मेहनताना देती हैं लेकिन फिर भी इस काम में लगे कई लोगों ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि उन्हें नियमित मेहनताना नहीं दिया जाता है और उन्हें यह चेतावनी दी गई है कि हाथ से मैला उठाने का काम करने से इनकार करने पर उन्हें उनके घरों से निकाल दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में नहावी गाँव की *पंचायत* ने खुले मलोत्सर्ग क्षेत्रों को हाथ से साफ़ करने के लिए नौ महिलाओं और पुरुषों को काम पर रखा था। बिमल ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि वह मल साफ़ नहीं करना चाहती है, लेकिन वह इस डर से इस काम को कर रही है कि उसके परिवार को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा जहाँ वह रहती है:

हमारे पास खेती-मजदूरी करने का काम है लेकिन यदि मैं खेती का काम करने जाती हूँ तो *पंचायत* से मुझे धमकियाँ मिलती हैं - "यदि तुम्हें काम नहीं करना है तो घर खाली कर दो।" मुझे अपना घर खोने का डर है। यदि मेरे पास रहने की जगह होती मैं यह गंदा काम नहीं करती।

बिमल के पति, कैलाश ने कॉलेज तक पढ़ाई की है लेकिन जब उसे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली तब वह 1989 में नहावी में हाथ से शौचालय साफ़ करने लगा। उसने कहा, "मैंने कॉमर्स और बैंकिंग की पढ़ाई की है, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। शिक्षित होने के बावजूद, पंचायत ने मुझे शौचालय साफ़ करने के काम पर रखा क्योंकि मैं इस समुदाय का हूँ।"

ह्यूमन राइट्स वॉच को कुछ ऐसे उदाहरण भी मिले जहाँ प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा और ठेकेदारों के माध्यम से, दोनों तरीके से शहरी नहर निगमों द्वारा वाल्मीकि जाति की महिलाओं और पुरुषों को हाथ से मैला उठाने के काम में लगाया गया है। 2004 से भरतपुर नगर निगम के लिए एक *सफाई कर्मचारी*, के रूप में काम करने वाली एक नगर निगम कर्मचारी ने अपने काम के बारे में बताया:

मैं अपने क्षेत्र को, इन दो गलियों को साफ़ करती हूँ। मैं इन्हें दिन में दो बार साफ़ करती हूँ क्योंकि ये काफी गंदे हो जाते हैं। मैं सड़कों पर झाड़ू लगाती हूँ और नालियों को साफ़ करती हूँ। यह बेहद गंदा रहता है क्योंकि घरों के शौचालयों से निकलने वाला मल सीधे यहाँ नालियों में आता है। मुझे इन नालियों से कचरे के साथ-साथ इस मल को भी उठाना पड़ता है... मुझे यह करना पड़ता है। ऐसा न करने पर, मेरी नौकरी चली जाएगी।

कुछ महिलाओं ने बताया कि हाथ से मैला उठाने से इनकार करने पर उन्हें हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ा है। नवम्बर 2012 में, जब उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले में परिगामा गाँव में 12 अन्य महिलाओं के साथ गंगाश्री ने अपनी इच्छा से शुष्क शौचालयों को साफ़ करना बंद कर दिया तब प्रमुख ठाकुर जाति के पुरुष उनके घर आए और उन्हें अपने मवेशियों को चराने के अधिकारों से वंचित करने और गाँव से निकालने की धमकी दी। इन धमकियों के बावजूद, महिलाओं ने हाथ से मैला उठाने के काम पर लौटने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद, परिगामा की ऊँची जाति के लगभग 20 से 30 पुरुष हमारे समुदाय के पास आए। गंगाश्री याद करके बताती है:

उन्होंने हमारे पतियों को बुलाया और कहा "यदि तुम लोगों ने अपनी पत्नियों को हमारे शौचालयों को साफ़ करने के लिए नहीं भेजा तो हम उनकी बड़ी पिटाई करेंगे। हम तुम्हारी भी पिटाई करेंगे।" उन्होंने कहा, "हम तुम्हें शांति से जीने नहीं देंगे।" हम लोग डर गए।

ऐसी धमकियाँ समुदायों को हाथ से मैला उठाने के काम से बांधे रखने में काफी प्रभावी साबित हुई हैं क्योंकि प्रभावित समुदायों को पुलिस संरक्षण प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुलिस और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के जातिगत पक्षपात के कारण पुलिस द्वारा उनकी शिकायतें दर्ज करने से इनकार किए जाने की वजह से वे काफी कमजोर पड़ जाते हैं।
हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के साथ होने वाले अधिकार सम्बन्धी दुर्व्यवहार इनकी आपसी मिलीभगत से और बढ़ता जा रहा है। बिना किसी सुरक्षा के लगातार मानव मल साफ़ करते रहने से उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालाँकि, इस काम को करने वाले लोगों को ख़ास तौर पर छुआछूत प्रथा का भी सामना करना पड़ता है। अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान

करवाने समेत उनके जीवन के हर क्षेत्र में फैला यह भेदभाव उनके सामने हाथ से मैला उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ता है।

भारत का संविधान छुआछूत की प्रथा पर रोक लगाता है, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 किसी को भी हाथ से मैला उठाने के लिए मजबूर करने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। विशेष रूप से हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाए गए हाथ से मैला उठाने शुष्क सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय का निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 (1993 का अधिनियम) में हाथ से मैला उठाने वालों को काम पर रखने और शुष्क शौचालयों का निर्माण करने की प्रथा को दंडनीय घोषित किया गया है जिसके लिए जुर्माना और कैद की सजा का प्रावधान है। 1993 के अधिनियम का अतिक्रमण करते हुए, 2013 का अधिनियम शुष्क शौचालयों पर निषेध से भी आगे बढ़ते हुए, अस्वास्थ्यकर शौचालयों, खुली नालियों, या गड्ढ़ों की सफाई समेत हाथ से मैला उठाने जैसे सभी कार्यों को गैरकानूनी घोषित करता है। और, महत्वपूर्ण रूप से, यह हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों को वैकल्पिक आजीविका और अन्य सहायता प्रदान करके उनके साथ होने वाले इस ऐतिहासिक अन्याय और अपमान को समाप्त करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व को मान्यता देता है।

हालाँकि, जिन महिलाओं से हमने बात की जिन्होंने हाथ से मैला उठाने का काम छोड़ दिया है, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्हें समुदाय आधारित सिविल सोसाइटी की पहल का समर्थन प्राप्त था, उन महिलाओं ने उन्हीं के पुनर्वास के लिए बनाए गए मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों से आवास, रोजगार, और समर्थन प्राप्त करने में काफी बाधाओं का सामना किए जाने की बात कही। उल्लेखनीय है कि 2013 के अधिनियम के तहत, पुनर्वास सम्बन्धी प्रावधानों को मौजूदा केंद्र और राज्य सरकारी योजनाओं के तहत लागू किए जाने के लिए छोड़ दिया गया है - कार्यक्रमों का वही सेट, आज तक, हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने में कामयाब नहीं हुआ है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन, और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित सम्मलेन (सीईडीएडब्ल्यू) में मिलने वाले संरक्षण समेत, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून का

उल्लंघन करती है। भारत हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के दायित्वों को सुदृढ़ बनाने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक पक्ष भी है।

मई 2014 में, भारत के लोगों ने एक नई सरकार चुनी। अपने अभियान के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए भारत की शौचालय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला कि शौचालय बनाना मंदिर बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारत के शौचालयों को आधुनिक बनाना भारत के अधिकांश दलित समुदायों में से कुछ समुदायों द्वारा हाथ से मल साफ़ किए जाने की प्रथा को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन फिर भी सिर्फ शौचालय में निवेश करना इन समुदायों द्वारा झेले जाने वाले सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाथ से मैला उठाने का काम छोड़ने के लिए लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने में सरकार की निरंतर असमर्थता आधुनिक शौचालय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के इस नए सिरे से किए जाने वाले प्रयास को प्रत्यक्ष तौर पर कमजोर बनाएगी। ख़ास तौर पर यह उस समय सही साबित होता है जब उन स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया जाता है जो अपने इलाकों में शौचालय व्यवस्था के आधुनिकीकरण की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए खुद हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों को नौकरी पर रखते हैं।

जुलाई 2014 तक, भारत सरकार ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने की समय सीमा को कम-से-कम आठ बार बढ़ाया है। हाथ से मल साफ करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए, सरकार को सिर्फ शौचालय को आधुनिक बनाने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम भी उठाए जाने की जरूरत है कि हाथ से मैला उठाने का काम छोड़ने वाले लोगों को आवास, रोजगार, और आवश्यक सेवाओं की तुरंत प्राप्ति हो, और हाथ से मैला उठाने की प्रथा और जातिगत भेदभाव को दूर करने से संबंधित सभी कानूनों को लागू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

भारत के केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

- वर्तमान में हाथ से मैला उठाने के काम में लगे सभी लोगों और उन लोगों की पहचान करें जिन्हें 1993 के अधिनियम के तहत इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद से इस

काम में लगाया गया है (ताकि इसके बाद वाले लोग 2013 के अधिनियम के तहत लाभ के हक़दार हों)।

- सुनिश्चित करें कि हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, आवास, वैकल्पिक आजीविका सहायता, और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी और कार्यक्रम सम्बन्धी सहयोग समेत, 2013 के अधिनियम के तहत पुनर्वास का हक़ उपलब्ध हो।
- यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठायें कि अधिकारी हाथ से मलमूत्र साफ़ करने के लिए मजबूर किए जाने वाले समुदायों को इस काम को करने से रोकने के लिए प्रभावी तरीके से हस्तक्षेप करते हैं, जिसमें हाथ से मलमूत्र साफ़ करने का काम छोड़ने की कोशिश करने पर ऐसे समुदायों के सदस्यों को डराए-धमकाए जाने पर उसमें भी हस्तक्षेप करना भी शामिल है। उठाए जाने वाले क़दमों में 2013 के अधिनियम और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 समेत संबंधित क़ानून को ठीक से लागू करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना शामिल होना चाहिए।
- उन स्थानीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ क़ानून को सख्ती से लागू करें जो खुद हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 की संख्या 1 को लागू करें।

V. आगे का मार्ग

भारत की केंद्र सरकार के लिए

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कदम उठायें, जिसमें शामिल है:

- वर्तमान में हाथ से मैला उठाने के काम में लगे सभी लोगों और उन लोगों की पहचान करें जिन्हें 1993 के अधिनियम के तहत इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद से इस काम में लगाया गया है (ताकि इसके बाद वाले लोग 2013 के अधिनियम के तहत लाभ के हक़दार हों):
    - स्थानीय अधिकारियों के लिए यह आवश्यक बनायें कि वे हाथ से मैला उठाने की प्रथा में लगे लोगों और उन लोगों की पहचान करने के लिए तत्काल, एहतियाती कदम उठायें जिन्होंने 1993 के बाद से इस काम को छोड़ दिया है। इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं होने चाहिए जो हाथ से अस्वास्थ्यकर शौचालयों को साफ़ करते हैं, बल्कि वे लोग भी शामिल होने चाहिए जो खुले मलोत्सर्ग क्षेत्रों, खुली नालियों, गड्ढ़ों, और किसी अन्य क्षेत्र से मल साफ़ करते हैं; और इसमें इस काम में लगे सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही नहीं, बल्कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों के सदस्य भी शामिल होने चाहिए।
    - हाथ से मैला उठाने के काम में लगे समुदायों और सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर सर्वेक्षण करें।
    - पहचाने गए सभी लोगों को 2013 के अधिनियम में उल्लिखित पुनर्वास अधिकारों से संबंधित राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए एक फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण संख्या प्रदान करें।
    - एक पारदर्शी, केंद्रीकृत, आसानी से इस्तेमाल किए जाने लायक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करें जिसे सभी योग्य व्यक्तियों की अपनी पंजीकरण संख्या का इस्तेमाल करके आसानी से पहुँच हो सके ताकि वे किसी पर निर्भर रहे बिना सभी संबंधित सरकारी योजनाओं के लिए अपने आवेदनों की स्थिति पर नजर रख सकें।

- सुनिश्चित करें कि हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, आवास, वैकल्पिक आजीविका सहायता, और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी और कार्यक्रम सम्बन्धी सहयोग समेत, 2013 के अधिनियम के तहत पुनर्वास का हक़ उपलब्ध हो।
    - हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सभी मौजूदा योजनाओं और हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास से संबंधित सभी योजनाओं का तुरंत सम्पूर्ण आंकलन और लेखापरीक्षण करें और क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाले मौजूदा अवरोधों को दूर करने पर ध्यान दें।
    - हाथ से मैला उठाने के काम में लगे समुदायों और सिविल सोसाइटी संगठनों के परामर्श से एक पुनर्वास योजना तैयार करें जो 2013 के अधिनियम के तहत पुनर्वास के प्रावधानों के अनुरूप हो। विशेष रूप से, इस योजना के माध्यम से सतत आजीविका तक तत्काल और दीर्घकालीन पहुँच की व्यवस्था की जानी चाहिए।
    - लक्षित समर्थन प्रदान करने के लिए हाथ से मैला उठाने का काम छोड़ चुके या छोड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की स्वास्थ्य, वित्तीय आवास, और सामाजिक सशक्तिकरण सम्बन्धी जरूरतों का आंकलन करने के लिए एक व्यापक जांच सूची तैयार करें।
    - सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम नवीनतम बाजार विश्लेषण पर आधारित हों ताकि प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप सतत आजीविका की प्राप्ति हो सके, विपणन योग्य कौशल प्राप्त हो सके, और प्रतिभागियों को लगातार सहयोग मिलता रहे जब तक उन्हें एक नौकरी नहीं मिल जाती या एक अच्छे व्यवसाय की स्थापना नहीं हो जाती।
    - हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों की महिलाओं को अपने समुदायों और सरकारी तंत्रों, बैंकों, और अन्य संबंधित पुनर्वास संस्थानों के बीच संपर्क के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित करें।
    - सभी संबंधित मंत्रालयों और सरकारी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करें, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, शहरी विकास

मंत्रालय, रेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, और योजना आयोग शामिल हैं लेकिन यह योजना केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है।

- आजीविकाओं तक तत्काल और दीर्घकालीन पहुँच को सुगम बनायें:
    - सुनिश्चित करें कि हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों को मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त हो सके। मनरेगा तक महिलाओं की पहुँच और उनकी भागीदारी को सुगम बनाने पर यूएन वीमन की सिफारिशों को समुदायों की महिलाओं पर लागू किया जाना चाहिए जो पारंपरिक रूप से हाथ से मैला उठाने का काम करती हैं।
    - सुनिश्चित करें कि आजीविका प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम लिंग संवेदनशील हों क्योंकि हाथ से मैला उठाने वाले लोगों में ज्यादातर महिलाएं हैं; सभी पुनर्वास अधिकारों को पहले इस काम में लगे पुरुष या महिला के नाम पर प्रदान किया जाना चाहिए।
    - ऋण प्रक्रियाओं की चुनौतियों को कम करने; अनुदान आधारित योजनाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को लागू करने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों के परामर्श से अनुदान आधारित योजनाएं तैयार करें।
    - हाथ से मैला उठाने वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए या उन्हें छोड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए गैर-शौचालय सम्बन्धी पदों में रोजगार को आरक्षित करें; जहाँ लोगों को नगरपालिका, सरकारी, अर्ध-सरकारी, या निजी कंपनियों द्वारा पहले काम में लगाया गया था, वहाँ उन्हें इन नियोक्ताओं द्वारा उन कार्यों में लगाया जाना चाहिए जो मैला उठाने से संबंधित न हो।
    - उचित पहचान के बाद 2013 के अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले एक-बारगी नकद सहायता प्रदान करें। हालाँकि, इसे आजीविकाओं के लिए तत्काल और दीर्घकालीन दोनों तरह की पहुँच प्रदान करने के लिए आवश्यक आजीविका सहायता के लिए एक विकल्प नहीं माना जा सकता है।
- हाथ से मैला उठाने के काम में लगे परिवारों के लिए और हाथ से मैला उठाने वालों का रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 के तहत इस प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किए जाने के बाद से इस काम को छोड़ चुके लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना

कार्यक्रम के तहत निष्पक्ष रूप से आवास वितरित करें; एक अकेली महिला की सरपरस्ती वाले परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठायें कि अधिकारी हाथ से मैला उठाने के लिए मजबूर किए जाने वाले समुदायों को इस काम को करने से रोकने के लिए प्रभावी तरीके से हस्तक्षेप करते हैं, जिसमें हाथ से मैला उठाने का काम छोड़ने की कोशिश करने पर ऐसे समुदायों के सदस्यों को डराए-धमकाए जाने पर उसमें भी हस्तक्षेप करना भी शामिल है। उठाए जाने वाले क़दमों में 2013 के अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 समेत, संबंधित क़ानून को ठीक से लागू करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना शामिल होना चाहिए।
    - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014, 2014 की संख्या 1 को लागू करें।
    - गृह मंत्रालय को उन मामलों में प्रभावी हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दें जहाँ समुदायों को हाथ से मैला उठाने का काम छोड़ने पर डराया-धमकाया जाता है।
    - दलित ईसाई और दलित मुसलमानों समेत, अन्य लोगों को हाथ से मैला उठाने के काम में लगाने की प्रथा को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक अपराध बना दें।
    - उन स्थानीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ क़ानून को सख्ती से लागू करें जो खुद हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं

भारत की राज्य सरकारों के लिए

सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और केंद्र सरकार की पहलों का पालन करें और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 को प्रभावित तरीके से लागू करने के लिए तत्काल कदम उठायें, और विशेष रूप से:

- वर्तमान में हाथ से मैला उठाने के काम में लगे सभी लोगों और उन लोगों की पहचान करें जिन्हें 1993 के अधिनियम के तहत इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद से इस काम में लगाया गया है (ताकि इसके बाद वाले लोग 2013 के अधिनियम के तहत लाभ के हक़दार हों) और ऐसे लोगों की पहचान करने के काम की देखरेख के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करें। इस समिति में राज्य के मुख्य सचिव, और अनुसूचित जाति आयोग, और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, और प्रभावित समुदायों के साथ काम करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।
- 2013 के अधिनियम को लागू करने की जवाबदेही को सुनिश्चित करें:
    - पुनर्वास अधिकारों के आवंटन में भ्रष्टाचार की शिकायतों की छानबीन करें, और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों को पुनर्वास लाभ वितरित करने में देरी होने पर स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना लगायें और उचित प्रशासनिक कार्रवाई करें।
    - व्यक्तिगत घरों और *पंचायतों* दोनों द्वारा अस्वास्थ्यकर शौचालयों को रूपांतरित करने में विफलता की सभी रिपोर्टों की छानबीन करें, और अस्वास्थ्यकर शौचालयों को रूपांतरित करने और स्वास्थ्यकर शौचालयों का निर्माण करने में देरी होने पर व्यक्तिगत घरों और स्थानीय अधिकारियों पर जुर्माना लगायें।
    - एक राज्य स्तरीय हेल्पलाइन शुरू करें जिसका इस्तेमाल वे लोग कर सकें जो हाथ से मैला उठाने का काम करते हैं या पहले करते थे ताकि वे सूची में शामिल होने के लिए अपनी पहचान कर सकें, और समुदाय से और अपने परिवार के भीतर मिलने वाली धमकियों और की जाने वाली जबरदस्ती की सूचना दे सकें, और पुनर्वास प्रावधानों का लाभ उठाने में सहायता प्राप्त कर सकें।
- जिलाधीशों, ग्राम परिषदों, नगर निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 को लागू करने का अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के उपबंधों की देखरेख कर रहे लोगों को प्रशिक्षण दें। एक नीति स्थापित करें कि किसी भी परिस्थिति में पुलिस को शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज करने से मना नहीं करना चाहिए या रोकना नहीं चाहिए या

धमकाना नहीं चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

- हाथ से मैला उठाने और खुले में मलत्याग करने के स्वास्थ्य और मानवाधिकार सम्बन्धी परिणामों समेत, शौचालय से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू करें। साफ़ और स्वस्थ गाँव अभियानों में युवाओं को शामिल करें और शौचालय सम्बन्धी आदतों और स्थलों में बदलाव करने में असाधारण कार्य कर दिखाने के लिए गाँवों और जिलों को सम्मानित करें।

जिला और ग्रामीण अधिकारियों के लिए

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कदम उठायें। इनमें शामिल होना चाहिए:

- वर्तमान में हाथ से मैला उठाने के काम में लगे सभी लोगों और उन लोगों की पहचान करें जिन्हें 1993 के अधिनियम के तहत इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद से इस काम में लगाया गया है (ताकि इसके बाद वाले लोग 2013 के अधिनियम के तहत लाभ के हक़दार हों)
    - सर्वेक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए ब्लॉक-स्तरीय समुदायों की स्थापना करें। इन समुदायों में संबंधित विभाग के अधिकारी, हाथ से मैला उठाने के काम में लगी महिलाएं या हाथ से मैला उठाने का काम बंद कर चुके लोग, और पारंपरिक रूप से हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों के साथ काम करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।
    - सर्वेक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त की गई ब्लॉक-स्तरीय समितियों के काम की प्रगति को देखने के लिए एक जिला-स्तरीय समिति की स्थापना करें।
    - आरंभिक सर्वेक्षण से बाहर रहे, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले या पहले काम करने वाले लोगों से निरंतर आधार पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए आवेदनों को स्वीकार करें; सर्वेक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार ब्लॉक-स्तरीय समिति द्वारा इन आवेदनों की समीक्षा की जानी चाहिए।

- अस्वास्थ्यकर शुष्क शौचालयों के रूपांतरण को सुनिश्चित करें:
    - समय पर अस्वास्थ्यकर शौचालयों को रूपांतरित करने में विफल होने वाले स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, जैसे अंतिम सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर।
    - एक औपचारिक मौखिक या लिखित चेतावनी मिलने के बाद भी हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के रूप में काम करने के लिए लोगों को नियुक्त करना जारी रखने वाले परिवारों के मुखिया के खिलाफ, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रसक्रिय उपाय करें कि हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों के लिए 2013 के अधिनियम के तहत पुनर्वास के अधिकार उपलब्ध हैं।
    - गरीबी रेखा से नीचे की सूची में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों को अनुमानित रूप से शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को लागू करें ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
    - वर्तमान में या पहले हाथ से मैला उठाने वाले लोगों की पहचान करने और उनका पुनर्वास करने में विफलता से संबंधित शिकायतों की छानबीन करें।
- वैकल्पिक आजीविकाओं तक पहुँच को सुगम बनायें:
    - सुनिश्चित करें कि स्थानीय अधिकारी हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले या काम कर चुके लोगों को नगरपालिकाओं, नगर निगमों, और अन्य स्थानीय निकायों में नौकरी देते हैं जिनमें वे नौकरियां भी शामिल हैं जो छुआछूत की प्रथा को तोड़ती हैं।
    - हाथ से मैला उठाने वाले समुदाय के लोगों की मदद करें जिन्हें कब्ज़ा करने के लिए जमीनें दी गई हैं।
- आवास तक पहुँच को सुगम बनायें:
    - स्थानीय अधिकारियों को हाथ से मैला उठाने के काम में लगे परिवारों को, और सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय के निर्माण (निषेध) के अधिनियम,

1993 के तहत गैर-कानूनी घोषित किए जाने के बाद से इस काम को छोड़ चुके लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत दी जाने वाली आवास सुविधा पर निष्पक्ष रूप से विचार करने का निर्देश दें।

- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिश को लागू करें कि हाथ से मैला उठाने वाले समुदाय के लोगों के पास स्थायी जाति पहचान से बचने के लिए मिश्रित कॉलोनी में आवास सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प है जो हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों के प्रभावी उपनिवेशों के साथ कायम रहता है।

दानकर्ताओं, सहायता एजेंसियों, और संबंधित सरकारों के लिए

- भारत की सरकार को हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- सुनिश्चित करें कि भारत में शौचालय परियोजनाओं के लिए हर तरह का समर्थन प्रदान करने के लिए हाथ से मैला उठाने की इस प्रथा को तत्काल समाप्त करना जरूरी है और इसमें इस प्रथा की समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए चल रही निगरानी के लिए प्रभावी क्रियाविधि शामिल है।
- हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों की मदद करने के लिए, तत्काल और दीर्घकालीन दोनों तरह के, उचित आजीविका कार्यक्रम विकसित करने के लिए, सरकारी पहलों का समर्थन करें और तकनीकी सहायता प्रदान करें। आजीविका कार्यक्रम लिंग संवेदनशील होने चाहिए और हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों और ऐसे समुदायों के साथ काम करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर तैयार किए गए होने चाहिए।
- हाथ से मैला उठाने का काम छोड़ चुके, छोड़ने की इच्छा रखने वाले, और अभी भी इस काम को करने वाले लोगों की मदद करने के लिए समग्र सशक्तिकरण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सिविल सोसाइटी पहलों का समर्थन करें। ऐसे समर्थन में व्यापक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण, और आजीविका समर्थन शामिल होना चाहिए - जिसमें सिर्फ कौशल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि नौकरी दिए जाने या व्यवहार्य स्वरोजगार को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समर्थन भी शामिल है। कार्यक्रम लिंग संवेदनशील होने चाहिए, हाथ से मैला उठाने वाले

समुदायों के साथ मिलकर तैयार किए गए होने चाहिए, और सबूत आधारित प्रथाओं पर आधारित होने चाहिए जिन्हें दोबारा अमल में लाया जा सकता हो और बढ़ाया जा सकता हो।

- जाति आधारित भेदभाव को एक निरंतर मानवाधिकार उल्लंघन मानें और कार्य और वंश पर आधारित भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदे में दिए दिशानिर्देशों का समर्थन करें।

नालियों से रोज मानव मल इकट्ठा करते हैं, बेंत की टोकरियों या धातु की नादों में भरते हैं, और अपने सिर पर उठाकर उन्हें बस्ती के बाहर के इलाकों में ले जाकर फेंक देते हैं। “हाथ से मैला उठाना”, कही जाने वाली यह प्रथा एक सदियों पुराना रिवाज है, जिसे स्थानीय तौर पर जबरन कराया जाता है, जिसके लिए एक विशिष्ट जाति के लोगों को अस्वास्थ्यकर मलोत्सर्ग केन्द्रों से मानव मल को इकट्ठा और साफ़ करना जरूरी है।

भारत सरकार दशकों से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क़ानून लागू करती रही है। अभी हाल ही में, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 हर तरह के हाथ से मैला उठाने की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करता है और राज्य अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे वैकल्पिक आजीविका और अन्य सहायता प्रदान कराएँ।

हाथ से मैला उठाने की प्रथा अभी भी चल रही है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों को इस प्रथा को छोड़ने की कोशिश किए जाने पर मिलने वाली विस्थापन और हिंसा की धमकियों से बचाने, और श्रम बाजार में प्रवेश करने में उनकी मदद करने में असफल रही हैं। इसके बजाय, स्थानीय स्तर पर अधिकारी इस प्रथा को कायम रखने में अक्सर मदद करते हैं। महिलाओं को अभी भी बिना किसी पारिश्रमिक के, सिर्फ भोजन और सामुदायिक संसाधनों तक पहुँच के लिए इस काम को जारी रखने के लिए अक्सर मजबूर किया जाता है।

भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश राज्यों में ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा आयोजित 135 से भी अधिक साक्षात्कारों पर आधारित “मानव मल की सफाई करना” लोगों के जीवन पर हाथ से मैला उठाने के नकारात्मक प्रभाव का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करता है और इसके अब तक अस्तित्व में रहने के कारणों और इन समुदायों को कोई दूसरा काम ढूँढने से रोकने वाली बाधाओं का विवरण प्रस्तुत करता है। हम हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने में क़ानून के क्रियान्वयन में पिछली विफलताओं और खामियों की छानबीन करते हैं, 2013 के अधिनियम को दीर्घकाल तक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देते हैं।

शुष्क शौचालय से हाथ से मल निकालने में काम आने वाली बेंत की टोकरी, पानी की बोतल, झाड़ू और चपटा उपकरण.

गंगाश्री उत्तर प्रदेश के कसेला गाँव में जाकर वहाँ के शुष्क शौचालयों से मानव मल को हाथ से उठाती है जिसे वह अपनी टोकरी में इकट्ठा करती है और उसे गाँव के बाहर के इलाके में ले जाकर फेंक देती है।.

© 2014 दिग्विजय सिंह

hrw.org